न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 283/2014

तारीख दायरा : 29.09.2014

उनवान

1. रोशनलाल पुत्र रामजीलाल पौत्र धूमी।
2. ताराचन्द पुत्र उमराव पौत्र धूमी।
3. सतवीर पुत्र उमराव पौत्र धूमी।
4. लालाराम पुत्र उमराव पौत्र धूमी।
5. मदन पुत्र उमराव पौत्र धूमी।
6. राजपाल पुत्र सूरत सिंह पौत्र धूमी।
7. नरेश पुत्र सूरत सिंह पौत्र धूमी।
8. भगवाना पुत्र धूमी **(फौत)**

8/1. चन्द्रावल पत्नी भगवाना।

8/2. धर्मवीर ।

8/3. राजपाल।

8/4. निहाल पुत्रान भगवाना।

8/5. कैलाश ।

8/6. माया।

8/7. मीना पुत्रीयान भगवाना जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर ,अलवर।

.....वादीगण।

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र रामजीलाल पौत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर। ...असल प्रतिवादी।
2. दीपक कुमार पुत्र जगमाल।
3. श्रीमति मूर्ती देवी बेवा जगमाल।
4. गजराज पुत्र प्रहलाद।
5. होशियार पुत्र प्रहलाद **(फौत)**

5/1. सुमन पुत्री होशियार।

5/2. कृष्ण पुत्र होशियार।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

5/3. कमला देवी पत्नी होशियार।

6. दलीप पुत्र प्रहलाद।
7. भगवाना पुत्र प्रहलाद।
8. मुखराम पुत्र रामदयाल।
9. रणवीर पुत्र रामनाथ।
10. महावीर पुत्र रामनाथ।
11. अजीत पुत्र रामनाथ **(फौत)**
11/1.जतिन पुत्र अजीत नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद उर्मिला पत्नी अजीत।

11/2.उर्मिला देवी पत्नी अजीत।

11/3 शिवानी पुत्री अजीत नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद उर्मिला पत्नी अजीत।

12. मु0 कौशल्या देवी बेवा रामनाथ।
13. गुझारी पुत्र मुरली।
14. काशीराम पुत्र मामचन्द।
15. अमीलाल पुत्र मामचन्द।
16. सुभाष पुत्र मामचन्द।
17. राजपाल पुत्र जयदयाल।
18. धर्मपाल पुत्र जयदयाल।
19. महीपाल पुत्र जयदयाल।
20. जगराम पुत्र भैरूराम।
21. जगमालसिंह पुत्र भैरूराम **(फौत)**
21/1.सुनील पुत्र जगमालसिंह।

21/2.सुमन पुत्री जगमालसिंह।

21/3.कमला पत्नी जगमालसिंह।

22. बुधराम पुत्र भैरूराम। **(फौत)**

22/1. कर्णसिंह पुत्र बुधराम।

22/2. रामगिरी पत्नी बुधराम।

22/3. सरोज पुत्री बुधराम।

22/4. नीलम पुत्री बुधराम।

22/5. पूनम पुत्री बुधराम।

22/6. लोकेश पुत्र बुधराम।

23. रामजस पुत्र भैरूराम।
24. जगदेव पुत्र भैरूराम।
25. लल्लूराम पुत्र भैरूराम।
26. निरंजनलाल पुत्र भैरूराम जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर ।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

27. मु0 सुमरी पुत्री अमरसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी करणावास तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा)
28. कालिया पुत्र मु. नारायणी पुत्री अमर सिंह जाति अहीर।
29. अजीत पुत्र मु0 नारायणी पुत्री श्री अमर सिंह जाति अहीर निवासीयान् करणावास तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा)

.....तरतीवी प्रतिवादीगण।

(दावा इस्तकराहक व स्थाई निषेघाज्ञा)

उपस्थितिः– श्री रणवीर सिंह यादव ,अधिवक्ता .....वादीगण की ओर से ।

श्री सुरेशचन्द यादव, अधिवक्ता,.....प्रतिवादी की ओर से ।

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांकः 07.6.19

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि धूमी के पॉच पुत्र रामजीलाल, उमराव,सूरत सिंह, अमरसिंह व भगवान पैदा हुये जिनको धूमी की विरासत प्राप्त हुई। धूमी का पुत्र भगवान जीवित है तथा अन्य रामजीलाल, उमराव, सरूतसिंह व अमरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी विरासत उनकी सन्तान को प्राप्त हुई है। आराजी साबिक ख.न. 931 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.06 बिस्वा, 1076 रकबा 0.3 बिस्वा, 1077 रकबा 0.3 बिस्वा , 1078 रकबा 0.05 बिस्वा , 1079 रकबा 0.04 बिस्वा, 1080 रकबा 0.06 बिस्वा 1081 रकबा 0.06 बिस्वा किता 7 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा का 1/4 भाग ग्राम पलावा मुण्डावर रामजीलाल, उमराव ,सूरतसिंह अमरसिंह भगवान पुत्रान धूमी की खातेदारी की आराजी है जिसके भगवान स्वंय वादी सख्या 8 एवं मृतक रामजीलाल उमराव,सूरतसिंह, अमरसिंह की सन्तान वादीगण 1 ला. 7 व तरतीवी प्रतिवादी 27 ला. 29 खातेदार है तथा मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 30.07.2014 को वादी अपनी खातेदार की आराजी पर कर्षि कार्य कर रहा था तो प्रतिवादी न.1 ने आकर कहा कि रिकार्ड जमाबन्दी में यह आराजी उसके नाम है तब जानकारी हुई तथा राजस्व रिकार्ड की नकल आदि प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी प्रतिवादी के नाम है। वादीगण विवादित आराजी के काबिज खातेदार है और जमाबन्दी स. 2015 का इन्द्राज सुसंगत है। साबिक ख.न. 931 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा पर जमाबन्दी स. 2015 में रामजीलाल वगैरा मुन्द्रर्जे खाता नम्बर 329 का 1/4 भाग तथा जमाबन्दी स. 2015 के खाता नम्बर 329 में रामजीलाल उमराव सूरत सिंह ,अमरसिंह भगवान पिसरान् धूमी समभाग सीसोदिया साकिन देह का अकंन दर्ज है। परन्तु प्रतिवादी न.1 के पिता का नाम भी रामजीलाल था किन्तु वह रामजीलाल पुत्र श्योसहाय था। रामजीलाल पुत्र श्योसहाय ने रामजीलाल पुत्र धूमी के समान नाम का नाजायज फायदा उठाते हुये राजस्व कर्मचारियों से मिलीकर उक्त साबिक ख.न. 931 रकबा 1.0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

बीधा पर रामजीलाल पुत्र धूमी के स्थान पर रामजीलाल पुत्र श्योसहाय का अकंन करा लिया। उक्त गलत अंकन बन्दोबस्त के समय भी स. 2029 में हो गया तथा निरन्तर चला आ रहा है। प्रतिवादी न. 1 के नाम गलत अंकन होने से प्रतिवादी न.1 वादी के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा करता है तथा आराजी दीगर व्यक्ति को रहन बय करने पर अमादा हो रहा है तथा गलत अकंन को ठीक कराने से साफ इन्कार कर दिया गया है। अन्त में उल्लेख किया गया है कि विवादित आराजी का वादीगण को 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी न.1 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर वादीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नहीं हेतु पावन्द किया जावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न.1 ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित की गई आराजी मिन प्रतिवादी के पूर्वज रामजीलाल पुत्र श्योसहाय के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी रही है जो रामजीलाल को विरासत में प्राप्त हुई है जिससे वादीगण व तर. प्रतिवादीगण का कोई सरोकार व सम्बन्ध नहीं है। साबिक रिकार्ड में मिन प्रतिवादी के पूर्वजो के नाम का अकंन रहा है तथा साबिक रिकार्ड के आधार पर ही बन्दोबस्त के समय सं. 2029 में मिन प्रतिवादी के पूर्वजो का नाम दर्ज हुआ है। वादीगण ने मिथ्या तथ्यों पर दावा दायर किया गया है। अतिरिक्त कथन में उल्लेखित किया है कि वादी ने वाद पत्र में घोषणात्मक व दुरूस्ती की रिलीफ चाही है परन्तु राजस्थान सरकार जर्ये लैण्ड होल्डर को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिए दावा वादीगण खारिज किया जावे।

उपरोक्त अभिकथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के आधार पर प्रकरण में विवाद्यको की संरचना की गई तथा पक्षकारान् के मौखिक साक्ष्य लेखबद्व किये गये। वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में रोशनलाल पुत्र रामजीलाल पी.ड.1, ताराचन्द पुत्र उमराव पी.ड.2, गजराज पुत्र प्रहलाद पी.ड.3, औमप्रकाश पुत्र रामसिंह पी.ड.4, के शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी की ओर मौखिक साक्ष्य में कोई गवाह परिक्षीत नहीं करवाया गया।

हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागणों की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता वादीगण का तर्क है कि जमाबन्दी स. 2015 के अनुसार विवादित आराजी मिन वादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज है। स. 2019 की जमाबन्दी में अचानक इन्द्राज परिर्वतन कर दिये गये जबकि स. 2015 की जमाबन्दी के अनुसार ही इन्द्राज रिपीट होने चाहिए थे। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की है ना ही लगान की कोई रसीदें पेश की है। प्रतिवादीगण ने रामजीलाल पुत्र धूमी के स्थान पर रामजीलाल पुत्र श्योसहाय का अकंन करवा लिया जबकि प्रतिवादी व इनके पूर्वजो का कोई सम्बन्ध व सरोकार विवादित

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

आराजी से नहीं था। वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से साबित होता है। उन्होने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क है कि वादी का दावा दुरूस्ती का है जबकि इनके द्वारा वाद पत्र की प्लीडिंग्स से बाहर जाकर बहस की गई है। वादी ने विनायदावी भी भिन्न– भिन्न तिथियों को होने का उल्लेख किया है जो सही नहीं माना जा सकता। विवादित आराजी रामजीलाल पुत्र श्योसहाय की कब्जे काश्त की आराजी थी। पहले कब्जे के आधार पर खसरा टीप के आधार पर इन्द्राज होते थे। स. 2029 में सैटलमैन्ट से पूर्व स. 2019 से प्रतिवादी के दादा के नाम चली आ रही है। इनका दावा रि–प्रीम्योच्योर है। सैटलमैन्ट द्वारा कोई गलती नहीं की गई है। वादीगण को कोई कॉज आफॅ एक्शन पैदा नहीं होता है। इसलिए इनका दावा खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

<u>तनकी न.1 :–</u> आया वाद में विवादित आराजी वादी एवं तर. प्रतिवादी की खानदानी आराजी है जो रामजीलाल पुत्र धूमी के कब्जे काश्त खातेदारी की रही है ?

<u>तनकी न. 2:–</u> आया विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता रामजीलाल पुत्र श्योसहाय के नाम गलत इन्द्राज हो गया जो काबिल दुरूस्ती है ?

उपरोक्त दोनों तनकीयात में विवादित बिन्दु समान निहित होने कारण दोनों का विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है। तनकी न.1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली में उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 के अनुसार साबिक ख.न. 931 रकबा 1 बीधा 13 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.06 बिस्वा, 1076 रकबा 0.3 बिस्वा, 1077 रकबा 0.3 बिस्वा, 1078 रकबा 0.05 बिस्वा, 1079 रकबा 0.04 बिस्वा, 1080 रकबा 0.06 बिस्वा 1081 रकबा 0.06 बिस्वा किता 7 रकबा 01 बीधा 13 बिस्वा बनना प्रमाणित होता है। जमाबन्दी स. 2015 के अनुसार साबिक ख.न.931 रकबा 1.13 बीधा पर रामजीलाल वगैरा मुन्द्रर्जे खाता नम्बर 329 हिस्सा 1/4 का अकंन दर्ज है तथा मुन्द्रर्जे खाता नम्बर 329 पर रामजीलाल उमराव सूरतसिंह अमरसिंह, भगवान पिसरान धूमी समान भाग अहीर सीसोदिया साकिन देह खुद काश्त का अकंन दर्ज है। जमाबन्दी स. 2019–22 प्रदर्श–6 के अनुसार विवादित साबिक ख.न. 931 पर रामजीलाल पुत्र श्योनारायण 1/4 भाग का अकंन दर्ज है। इसी प्रकार के अकंन जमाबन्दी स. 2023 में दर्ज है तथा इसी अनुरूप बन्दोबस्त विभाग द्वारा स. 2029 की जमाबन्दी में अकंन किया गया है तथा यह अकंन आज तक निरन्तर चला आ रहा है।

उपखण्ड़ाधिकारी
मुण्ड़ावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

उपरोक्त राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स0 2015 की जमाबन्दी के अनुसार उक्त आराजी रामजीलाल उमराव सूरतसिंह भगवान पिसरान धूमी समान भाग खुदकाश्त की भूमि थी परन्तु स0 2019 में उक्त आराजी पर प्रतिवादी न.1 पिता रामजीलाल पुत्र श्योसहाय के नाम का अकंन आ गया। जबकि जमाबन्दी स. 2015 का इन्द्राज ही सं. 2019 की जमाबन्दी में रिपीट होना चाहिए था। प्रतिवादी न.1 द्वारा इस तथ्य का कोई सारभूत स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि स. 2019 में यह भूमि उनके पिता के नाम कैस आई। इस सम्बन्ध में केवल मौखिक रूप से यह कह देना कि खसरा टीप के आधार पर इन्द्राज हुआ है स्वीकार योग्य नहीं है। स. 2019 की जमाबन्दी में प्रतिवादी के पिता का नाम किस हैसियत से किस आदेश आया यह तथ्य प्रतिवादी को साबित करना लाजमी था परन्तु प्रतिवादी की ओर से इस बारे में कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है। जमाबन्दी स. 2015 में वादीगण के पिता रामजीलाल, उमराव,सूरतसिंह, अमरसिंह भगवान का नाम था तो उसे बिना किसी सक्षम ऑथोरिटी के आदेश के राजस्व रिकार्ड से हजफ कर देना न्यायोचित नहीं माना जा सकता। वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में जमाबन्दी स. 2011 प्रदर्श–1 की प्रति भी पेश की गई है परन्तु इसका अवलोकन करने पर उक्त अभिलेख सुस्पष्ट एवं पठनीय नहीं है इसलिए इस जमाबन्दी पर अंकित इन्द्राज से किसी प्रकार की उपधारणा नहीं की जा सकती।

वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में पी.ड.1, पी.ड.2 एवं पी.ड.3 ने अपने साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि रामजीलाल पुत्र धूमी एवं रामजीलाल पुत्र श्योसहाय दोनों अलग–अलग व्यक्ति है तथा वादीगण का कब्जा काश्त है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर साबित है कि विवादित आराजी वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी है तथा जमाबन्दी स. 2015 के अनुसार वादीगण की खातेदारी की भूमि रही है इसलिए वादीगण स. 2019 के इन्द्राज को दुरूष्त करवाकर विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः तनकी न.1 व 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी न. 3 :– आया विवादित आराजी बाबत वादी प्रतिवादीगण को हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने का अधिकारी है ?

तनकी न.4 :– आया विवादित आराजी प्रतिवादी की खानदानी आराजी है जो पिता रामजीलाल पुत्र श्योसहाय से प्राप्त हुई एवं प्रतिवादी आराजी पर बदस्तूर काबिज है ?

उपरोक्त तनकीयात में तनकी न.3 को साबित करने का भार वादी एवं तनकी न.4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। तनकी न. 1 व 2 में राजस्व अभिलेख का विस्तृत रूप से विवेचन किया जाकर यह तय किया जा चुका है कि विवादित आराजी स. 2019 में प्रतिवादी के पिता के नाम का अकंन विधि सम्मत नहीं है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी यह भी साबित करने में असफल रहा है कि यह आराजी उसकी खानदानी आराजी थी क्योंकि स. 2019 से पूर्व प्रतिवादी के पिता के पूर्वजो का नाम राजस्व अभिलेख में नहीं है ना ही ऐसा कोई रिकार्ड प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया है। स. 2019 में प्रतिवादी के पिता के नाम यह भूमि किस हैसियत से किस आदेश से खातेदारी में आई यह भी प्रतिवादी साबित करने में असफल रहा है इसलिए वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थाई निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये तनकी न. 3 व 4 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

अतः उपरोक्त तनकीयात के समग्र विवेचन के उपरान्त दावा वादी डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.07 बिस्वा, 1076 रकबा 0.04 बिस्वा, 1077 रकबा 0.04 बिस्वा, 1078 रकबा 0.07 बिस्वा , 1079 रकबा 0.05 बिस्वा, 1080 रकबा 0.07 बिस्वा 1081 रकबा 0.08 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 0.42 हैक्टेयर ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर के 1/4 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त 1/4भाग से प्रतिवादी न.1 रामेश्वर पुत्र रामजीलाल का नाम कलमजन किया जाता है। प्रतिवादी न.1 को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

(योगेश कुमार डागुर) 07.6.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

निर्णय आज दिनांक 07.6.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर) 07.6.19
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर R.A.S.

राजस्व वाद सख्या : 283/2014

तारीख दायरा : 29.09.2014

उनवान

1. रोशनलाल पुत्र रामजीलाल पौत्र धूमी।
2. ताराचन्द पुत्र उमराव पौत्र धूमी।
3. सतवीर पुत्र उमराव पौत्र धूमी।
4. लालाराम पुत्र उमराव पौत्र धूमी।
5. मदन पुत्र उमराव पौत्र धूमी।
6. राजपाल पुत्र सूरत सिंह पौत्र धूमी।
7. नरेश पुत्र सूरत सिंह पौत्र धूमी।
8. भगवाना पुत्र धूमी **(फौत)**

8/1. चन्द्रावल पत्नी भगवाना।

8/2. धर्मवीर ।

8/3. राजपाल।

8/4. निहाल पुत्रान भगवाना।

8/5. कैलाश ।

8/6. माया।

8/7. मीना पुत्रीयान भगवाना जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर ,अलवर।

.....वादीगण।

बनाम

1.रामेश्वर पुत्र रामजीलाल पौत्र श्योसहाय जाति अहीर निवासी पलावा तहसील मुण्डावर जिला अलवर। ...असल प्रतिवादी।

2. दीपक कुमार पुत्र जगमाल।
3. श्रीमति मूर्ती देवी बेवा जगमाल।
4. गजराज पुत्र प्रहलाद।
5. होशियार पुत्र प्रहलाद **(फौत)**

5/1. सुमन पुत्री होशियार।

5/2. कृष्ण पुत्र होशियार।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

5/3. कमला देवी पत्नी होशियार।

6. दलीप पुत्र प्रहलाद।
7. भगवाना पुत्र प्रहलाद।
8. मुखराम पुत्र रामदयाल।
9. रणवीर पुत्र रामनाथ।
10. महावीर पुत्र रामनाथ।
11. अजीत पुत्र रामनाथ **(फौत)**

11/1.जतिन पुत्र अजीत नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद उर्मिला पत्नी अजीत।

11/2.उर्मिला देवी पत्नी अजीत।

11/3 शिवानी पुत्री अजीत नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता खुद उर्मिला पत्नी अजीत।

12. मु0 कौशल्या देवी बेवा रामनाथ।
13. गुझारी पुत्र मुरली।
14. काशीराम पुत्र मामचन्द।
15. अमीलाल पुत्र मामचन्द।
16. सुभाष पुत्र मामचन्द।
17. राजपाल पुत्र जयदयाल।
18. धर्मपाल पुत्र जयदयाल।
19. महीपाल पुत्र जयदयाल।
20. जगराम पुत्र भैरूराम।
21. जगमालसिंह पुत्र भैरूराम **(फौत)**

21/1.सुनील पुत्र जगमालसिंह।

21/2.सुमन पुत्री जगमालसिंह।

21/3.कमला पत्नी जगमालसिंह।

22. बुधराम पुत्र भैरूराम। **(फौत)**

22/1. कर्णसिंह पुत्र बुधराम।

22/2. रामगिरी पत्नी बुधराम।

22/3. सरोज पुत्री बुधराम।

22/4. नीलम पुत्री बुधराम।

22/5. पूनम पुत्री बुधराम।

22/6. लोकेश पुत्र बुधराम।

23.रामजस पुत्र भैरूराम।

24.जगदेव पुत्र भैरूराम।

25.लल्लूराम पुत्र भैरूराम।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

26.निरंजनलाल पुत्र भैरूराम जातियान अहीर निवासीयान पलावा तहसील मुण्डावर ।

27.मु0 सुमरी पुत्री अमरसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी करणावास तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा)

28.कालिया पुत्र मु. नारायणी पुत्री अमर सिंह जाति अहीर।

29.अजीत पुत्र मु0 नारायणी पुत्री श्री अमर सिंह जाति अहीर निवासीयान् करणावास तहसील व जिला रेवाडी (हरियाणा)

.....तरतीवी प्रतिवादीगण।

(दावा इस्तकराहक व स्थाई निषेघाज्ञा)

पर्चा डिकी दिनांक 07.6.19

दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.07 बिस्वा, 1076 रकबा 0.04 बिस्वा, 1077 रकबा 0.04 बिस्वा, 1078 रकबा 0.07 बिस्वा , 1079 रकबा 0.05 बिस्वा, 1080 रकबा 0.07 बिस्वा 1081 रकबा 0.08 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 0.42 हैक्टेयर ग्राम पलावा तहसील मुण्डावर के 1/4 भाग का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा एक्त 1/4 भाग से प्रतिवादी न.1 रामेश्वर पुत्र रामजीलाल का नाम कलमजन किया जाता है। प्रतिवादी न.1 को स्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(योगेश कुमार डागुर) 07.6.19

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner